

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी
पत्रांक- 3114 /33-1 / दिनांक, झांसी, दिसम्बर 18, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- पावर ग्रिड कार्पो० आफ इण्डिया लि० झांसी द्वारा 765 के०वी० द्विपक्षीय लिलो सतना-ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग के 0.1742 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे० संरक्षित वन एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका कार्यालय पत्रांक 1439/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रान्स०/22022/2016 दिनांक 24.11.2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 2906/33-1 दिनांक 04.12.2017 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी झांसी एवं उरई से आपत्तियों का निस्तारण मांगा गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

आपके कार्यालय पत्रांक 1537/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रान्स०/22022/2016 दिनांक 07.12.2017 के संदर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी झांसी एवं उरई ने अपने कार्यालय पत्रांक 2770/15-1 दिनांक 08.12.2017 एवं 1603/33-1 दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्रास्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया है। जिसे ऑनलाईन कर प्रेषित किया जाता है।

संलग्नक- प्रभागीय वनाधिकारी झांसी एवं उरई
के पत्र की छायाप्रति।

भवदीय



(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या- /समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी झांसी एवं उरई को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1439/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रान्स०/22022/2016 दिनांक 24.11.2017 द्वारा वांछित आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 1603 / 33-1 / उरई, दिनांक दिसम्बर 13 2017।
सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:-
पावर ग्रिड

पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड WR-II झांसी द्वारा 765 केवी सतना ग्वालियर ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है, संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 है। संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.2886 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयाग एवं उस पर अवयसथित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्रांक 1430/11 सी दिनांक 24.11.2017 एवं आपका पत्रांक 2906/33-1 दिनांक 04.12.2017।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1586/33-1 दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी से आपत्तियों का निस्तारण मांगा गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1537/11/सी/FP /UP/TRANS/22022/2016 दिनांक 07.12.2017 के सन्दर्भ में प्रस्ताव आनलाइन वापस किया जाता है।

अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(बी०आर० अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी
पत्रांक 2770 / 15-1 दिनांक, झांसी, दिसम्बर, 8 2017

01-210 सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०,
झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषय:- पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, झांसी द्वारा 765 के०वी० लिलो ऑफ सतना-ग्वालियर विद्युत पारेषण के निर्माण में झांसी वन प्रभाग में 0.1742 है० संरक्षित वनभूमि एवं 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-1439/11सी-FP/UP/TRANS/22022/2016, लखनऊ, दिनांक 24.11.2017 तथा 1537/11-C-FP/P/TRANS/22022/2016 दिनांक 07.12.2017 एवं आपका पत्रांक-2847/33-1, दिनांक 27.11.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-197टी०सी/15-1, दिनांक 27.11.2017 द्वारा मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है, जो आज तक अप्राप्त है ।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-1537/11-C-FP/P/TRANS/22022/2016 दिनांक 07.12.2017 के संदर्भ में प्रस्ताव ऑनलाइन वापस किया जाता है ।

भवदीय

(डॉ० मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या _____ / अ / समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित ।

(डॉ० मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी